दौरे पर [illegible] को पेश [illegible]
12/2/21

12/2/21 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट पेश की पत्रावली
शामिल की। वकील वादी की बहस सुनी। वादी का
वाद [illegible] [illegible] [illegible] प्रकरण
[illegible] [illegible] [illegible] बाद तकमील पत्रावली
दाखिल दफ्तर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया
जाता।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (मु०स्थल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
235 / 2022	07.12.2022	12.02.2025

उनवान

1. खुशी मोहम्मद पुत्र श्री सरजीत खान जाति मेव निवासी खरेटा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

प्रार्थी / वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: असल अप्रार्थी / प्रतिवादी

2. खुर्शीद पुत्र श्री सरजीत खान जाति मेव निवासी खरेटा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

–: फोरमल अप्रार्थी / प्रतिवादी

दावाः– इस्तरारहक मथ दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0 एवं 136 एल. आर. एक्ट

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12.02.2025

1. वादी का सारतः वाद पत्र रहा कि :–

   1. यह है कि आराजी हाल ख० नं0 177 / 0.68 हैक्0, का 13 / 54 भाग, ख० नं0 310 / 0.06 हैक्०, का 2 / 5 भाग, ख० नं0 309 / 0.11 हैक्0, का 1 / 6 भाग वाके ग्राम खरेटा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
   2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, जिस पर प्रार्थी व प्रार्थी का भाई फोरमल अप्रार्थी सं० 1 हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, मौके पर कब्जा बाबत व हिस्सा बाबत कोई विवाद नहीं है।
   3. यह है कि प्रार्थी को गांव में बचपन से टूटा के नाम से बुलाया जाता रहा है, आज भी गांव व परिवार में प्रार्थी को टूटा के नाम से बुलाया जाता है। टूटा खॉ पुत्र सरजीत व खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत खान दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है।
   4. यह है कि प्रार्थी को गांव व घर में टूटा के नाम से बुलाने के कारण राजस्व रिकोर्ड में टूटा नाम ही दर्ज हो गया और यही नाम चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी के पहचान के सभी सरकारी दस्तावेजात खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत खान के नाम से बने हुये है और

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम खुशी मोहम्मद दर्ज हो रहा है, जबकि राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का उपनाम टूटा दर्ज हो रहा है, प्रार्थी के नाम राजस्व रिकोर्ड में अलग व पहचान के दस्तावेजात में अलग दर्ज होने से प्रार्थी को असुविधा हो रही है।

5. यह है कि प्रार्थी को बचपन में परिजन व गांव के लोग उपनाम टूटा के नाम से ही बुलाया करते थे। इसलिये राजस्व रिकोर्ड में टूटा नाम दर्ज है, जबकि पहचान के दस्तावेजात समस्त में व प्रार्थी के बच्चों की वल्दियत में प्रार्थी का नाम खुशी मोहम्मद दर्ज हो रहा है। अब प्रार्थी का केवल राजस्व रिकोर्ड में नाम टूटा खों दर्ज रहने से प्रार्थी को किसान केडिट कार्ड से ऋण लेने, आराजी विक्रय करने, विनिमय करने में बाधा आ रही है।

6. यह है कि प्रार्थी ने असल अप्रार्थी सं० 1 से नाम दुरूस्ती बाबत राजस्व कैम्प में निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र पेश किया था असल अप्रार्थी सं० 1 ने रिपोर्ट मंगवाने व नाम दुरूस्त करने की बात कह कर प्रार्थना पत्र रख लिया था उसके बाद प्रार्थी अनेक बार असल अप्रार्थी सं० 1 से सम्पर्क कर नाम दुरूस्त किये जाने बाबत निवेदन करता रहा लेकिन प्रार्थी के नाम दुरूस्ती बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अब दिनांक 04ध11ध2022 को असल अप्रार्थी सं० 1 से सम्पर्क किया तो असल अप्रार्थी सं० 1 ने नाम दुरूस्ती करने से यह कहते हुये मना कर दिया कि नाम दुरूस्त के बाबत आदेश अदालत से ही कराना होगा। इसलिये प्रार्थी को अदालत श्रीमान में प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

7. यह है कि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम खुशी मोहम्मद है जबकि राजस्व रिकोर्ड में घर का उपनाम टूटा खॉ अंकित हो रहा है। प्रार्थी का सही नाम खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत खान अंकित किये जाने व वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में हाल अंकन टूटा खों पुत्र सरजीत को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

8. यह है कि अब दिनांक 04ध11ध2022 को मिन प्रार्थी ने असल अप्रार्थी सं० 1 से नाम दुरूस्त करवाने बाबत सम्पर्क किया तो असल अप्रार्थी सं० 1 ने नाम दुरुस्ती करने से इंकार कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है।

9. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी व फोरमल अप्रार्थी विरूद्व असल अप्रार्थी निम्न प्रकर डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी। यह है कि डिकी इश्तकरारहक बम्य दुरूस्ती इन्द्राज बहक प्रार्थी विरूद्ध असल अप्रार्थी इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी हाल ख० नं0 177/0.68 हैक्०, का 13/54 भाग, ख० नं0 310/0.06 हैक्०, का 2/5 भाग, ख० नं0 309/0.11 हैक्0, का 1/6 भाग वाके ग्राम खरेटा तहसील मुण्डावर में प्रार्थी का सही नाम खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत खान अंकित किये जाने व वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में हाल अंकन टूटा खॉ पुत्र सरजीत को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

2. दावा दिनांक 07.12.2022 को दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई। प्रतिवादी सं0 01 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी का नाम ग्राम खरेटा के आराजी खसरा नम्बर 177, 310, 309 में टूटा खां पुत्र सरजीत दर्ज है जबकी प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत खान दर्ज है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत खरेटा रिपोर्ट टूटा खा पुत्र सरजीत व खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत खान एक ही व्यक्ति के दो नाम है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः ग्राम खरेटा के आराजी खसरा नम्बर 177, 310, 309 में दर्ज प्रार्थी के नाम टूटा खां पुत्र सरजीत के बजाय सही नाम खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत खान शुद्व किया जाना उचित होगा।

3. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि से संबंधित की जमाबन्दी सम्वत 2072—73, आधार कॉर्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड पेश किये।

4. बहस वकीलवादी सुनी गई।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस वकीलवादी पर मनन किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है —

   प्रार्थी की खातेदार काश्त की भूमि है। विवादित आराजी मे टूटा खा पुत्र सरजीत दर्ज है। प्रार्थी/वादी की दस्तावेजात में सरजीत पुत्र सरजीत खान अंकित है। उक्त को दुरूस्त करने बाबत तहसीलदार मुण्डावर ने भी उचित माना गया है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण ने वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने योग्य पाता है। परिणामतः वादीगण द्वारा वाद पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है।

—: आदेश :—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। विवादित आराजी हाल ख0 नम्बरान 177/0.68 है०, का 13/54 भाग, ख० नं0 310/0.06 है०, का 2/5 भाग, ख० नं0 309/0.11 हैक0, का 1/6 भाग वाके ग्राम खरेटा तहसील मुण्डावर में अंकित टूटा खॉ पुत्र सरजीत को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बराई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या
235 / 2022

रजू दिनांक
07.12.2022

पर्चा डिक्री दिनांक
12.02.2025

उनवान

1. खुशी मोहम्मद पुत्र श्री सरजीत खान जाति मेव निवासी खरेटा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

प्रार्थी / वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: असल अप्रार्थी / प्रतिवादी

2. खुर्शीद पुत्र श्री सरजीत खान जाति मेव निवासी खरेटा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

–: फोरमल अप्रार्थी / प्रतिवादी

दावा:– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधि0 एवं 136 एल. आर. एक्ट

....

–: पर्चा डिक्री :–

दिनांक :– 12.02.2025

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रणवीर सिंह यादव व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.02.2025 को सुरेश कुमार बलाई सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

विवादित आराजी हाल ख0 नम्बरान 177 / 0.68 है०, का 13 / 54 भाग, ख० नं0 310 / 0.06 है०, का 2 / 5 भाग, ख० नं0 309 / 0.11 हैक्0, का 1 / 6 भाग वाके ग्राम खरेटा तहसील मुण्डावर में अंकित टूटा खॉ पुत्र सरजीत को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर खुशी मोहम्मद पुत्र सरजीत राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार, मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल करें, निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 12.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा